



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 24]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 3, 2003/फाल्गुन 12, 1924

No. 24]

NEW DELHI, MONDAY, MARCH 3, 2003/PHALGUNA 12, 1924

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 फरवरी, 2003

फा. सं. 1-2/2000/राअशिप.—राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1993 (1993 का 73वां) की धारा 32 की उपधारा (2) के खण्ड (ओ) तथा 20 की उपधारा (7) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, क्षेत्रीय समितियों की स्थापना, स्थान तथा अधिकार क्षेत्र सम्बन्धी अपनी दिनांक 13 दिसम्बर, 1995 और 30 अप्रैल, 2001 को अधिसूचनाओं का अतिक्रमण करते हुए एतद्वारा निम्न विनियम बनाती है :

2. ये विनियम राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (क्षेत्रीय समितियों की स्थापना, स्थान तथा अधिकार क्षेत्र) विनियम, 2003 कहलाएंगे।
3. ये विनियम तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।
4. क्षेत्रीय समितियों का स्थान और क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र निम्नानुसार होगा :

क्र.सं.	क्षेत्रीय समिति का नाम	स्थान	क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र
1.	पूर्वी क्षेत्रीय समिति	भुवनेश्वर	अस्सीचल प्रदेश, असम, बिहार, झारखण्ड, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, सिक्किम, त्रिपुरा तथा पश्चिमी बंगाल
2.	पश्चिमी क्षेत्रीय समिति	भोपाल	छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, दादरा तथा नगर हवेली और दमन तथा दीव
3.	उत्तरी क्षेत्रीय समिति	जयपुर	हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, चण्डीगढ़ तथा दिल्ली
4.	दक्षिणी क्षेत्रीय समिति	बंगलौर	आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप तथा पांडिचेरी

एस. के. रॉय, सदस्य सचिव

[विज्ञापन III/IV/131/2002/असा.]

NATIONAL COUNCIL FOR TEACHER EDUCATION
NOTIFICATION

New Delhi, the 19th February, 2003

E. No. 1-2/2000-NCTE.—In exercise of the powers conferred under clause (o) of sub-section (2) of Section 32 and sub-section (7) of Section 20 of the National Council for Teacher Education Act, 1993 (No. 73 of 1993) the National Council for Teacher Education, in supersession of its notifications dated the 13th December, 1995 and the 30th April, 2001 regarding establishment, location and jurisdiction of the Regional Committees, hereby makes the following Regulations:

2. These Regulations may be called the National Council for Teacher Education (Establishment, Location and Territorial jurisdiction of the Regional Committees) Regulations, 2003.
3. These Regulations shall come into force with immediate effect.
4. The location and territorial jurisdiction of the Regional Committees shall be as follows:—

S. No.	Name of the Regional Committee	Location	Territorial Jurisdiction
1.	Eastern Regional Committee	Bhubaneshwar	Arunachal Pradesh, Assam, Bihar, Jharkhand, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Orissa, Sikkim, Tripura and West Bengal.
2.	Western Regional Committee	Bhopal	Chattisgarh, Goa, Gujarat, Madhya Pradesh, Maharashtra, Dadra and N. Haveli and Daman and Diu.
3.	Northern Regional Committee	Jaipur	Haryana, Himachal Pradesh, Punjab, Rajasthan, Uttar Pradesh, Uttarakhand, Chandigarh and Delhi.
4.	Southern Regional Committee	Bangalore	Andhra Pradesh, Karnataka, Kerala, Tamil Nadu, A. & N. Islands, Lakshadweep and Pondicherry.

S. K. RAY, Member Secy.

[ADVT. III/IV/131/2002/Exty.]